


## RoW (Right of Way) Certificate

परियोजना का नाम— जनपद चमोली के अन्तर्गत बद्रीनाथ वन प्रभाग में चमोली/नन्दप्रयाग/पश्चिमी पिण्डर रेंज के अन्तर्गत एन0एच0/एस.एच0/डी0एम0आर0 नन्दप्रयाग कण्डाई पुल लुनतरा कुरुड़ घाट भेंटी तथा नारायणवगड़ परखाल रेंस चोपता मोटर मार्ग के 72.80 किमी0 एवं 0.416 है0 वन भूमि में आस्टिकल फाइबर केबिल बिछाने हेतु भूमि का वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत गैर वानिकी कार्य हेतु रिलायस जियो लि0 प्रथम तल जी0एम0एस0 रोड, निरंजनपुर, देहरादून को वन भूमि प्रत्यावर्तन की अनुमति दिये जाने का प्रस्ताव।

प्रमाणित किया जाता है कि विषयक परियोजना का निर्माण प्रस्तावनुसार पूर्व निर्मित मोटर मार्ग हेतु स्वीकृत RoW(Right of Way) के अन्तर्गत ओ0एफ0सी0 केबिल मोटर मार्ग के किनारे बिछायी जानी प्रस्तावित है। नन्दप्रयाग से कण्डाई पुल तक की स्वीकृति पूर्व में उत्तराखण्ड शासन के पत्रांक जी0आई0 24/7(1)-2000-600/99 दिनांक 22.12.2000 एवं घाट थराली मोटर मार्ग में घाट से भेंटी तक (किमी0 01 से किमी0 11.250) उत्तराखण्ड शासन की पत्र सं0 जी0आई0 381/14-2-73-628/1991 दिनांक 27.01.1994, थिरपाक काण्डाई मोटर मार्ग हेतु भारत सरकार की पत्र सं0 8वीं/यूसीपी/06/271/2000/एफसी/1544 दिनांक 18.01.2005 कुरुड़ माखणी मोटर मार्ग की लम्बाई 4.70 किमी0 हेतु उत्तराखण्ड शासन की पत्र सं0 जी0आई0 2425/7-1-2010-600(2775)2009 दिनांक 30.10.2010 एवं नारायणवगड़ परखाल रेंस चोपता मोटर मार्ग की स्वीकृति पूर्व में भारत सरकार के आदेश सं0 8वीं/यूसीपी0/06/85/2004/ एफ0सी0/960 दिनांक 25.10.2004 से प्राप्त है।

  
(आशुतोष सिंह )  
प्रभागीय वनाधिकारी,  
बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।